



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

Title: प्रेस विज्ञप्ति

Reference No.: --

Date: 10/07/2020

कोरोना कवच पॉलिसी

संदर्भ सं / Ref. No:- दिनांक / Date: 10-07-2020

प्रेस विज्ञप्ति

Press Release

कोरोना कवच पॉलिसी

Corona Kavach Policy

कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखकर, प्राधिकरण ने उद्योग भर में इस्तेमाल होने वाली शब्दावली में बीमा कराने वाली जनता की मूलभूत स्वास्थ्य बीमा जरूरतों को पूरा करने वाला एक मानक कोविड-विशिष्ट उत्पाद तैयार किया है। प्राधिकरण ने, साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को आदेश दिया है कि वे “कोरोना कवच” नामक इस क्षतिपूर्ति आधारित वैयक्तिक कोविड मानक स्वास्थ्य पॉलिसी को पेश करें।

In view of the Covid 19 pandemic, the Authority has designed a standard Covid specific product addressing basic health insurance needs of insuring public with common policy wordings across the industry. The Authority has mandated general and health insurers to offer this indemnity based Individual Covid Standard Health Policy called “Corona Kavach”.

“कोरोना कवच” की महत्वपूर्ण विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं:

Key features of “Corona Kavach” are as under:

उत्पाद का प्रकार Product Type	वैयक्तिक और परिवार फ्लोटर आधार पर उपलब्ध Available on Individual and Family Floater Basis
कवर का प्रकार Type of Cover	1. क्षतिपूर्ति-आधार पर बेस कवर-कोविड अस्पताल में भरती कवर 2. लाभ आधारित स्वैच्छिक कवर- अस्पताल दैनिक नगदी 1. Base Cover on Indemnity Basis- Covid Hospitalization cover 2. Optional Cover on Benefit Basis- Hospital Daily Cash
बीमाकृत राशि Sum insured	रु. 50,000/- (पचास हजार) से 5,00,000/- (पाँच लाख) (पचास हजार के गुणकों में) Rs 50,000/- (Fifty Thousand) to 5,00,000/- (Five Lakh) (in the multiples of fifty thousand)
प्रतीक्षा अवधि Waiting Period	15 दिन 15 days
पॉलिसी अवधि Policy Period	साढ़े तीन महीने (3 ½ महीने), साढ़े छह महीने (6 ½ महीने), साढ़े नौ महीने (9 ½ महीने), प्रतीक्षा अवधि सहित Three and Half Months (3 ½ months), Six and Half Months (6 ½ months), Nine and Half Months (9 ½ months) including waiting period.
पात्रता Eligibility	पॉलिसी 18 से 65 वर्ष के बीच की आयु वाले व्यक्तियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। पॉलिसी स्वयं, पति/पत्नी, माता-पिता, सास-ससुर और 25 वर्ष की आयु तक की आश्रित संतानों के लिए ली जा सकती है। Policy can be availed by persons between the age of 18 to 65 years. Policy can be availed for Self, spouse, Parents, Parents-in-law and Dependent Children up to 25 years of age.
अस्पताल में भरती संबंधी व्यय Hospitalization	कोविड के निदान पर, अस्पताल में भरती होने पर चिकित्सा व्यय शामिल होगा

Expenses	Medical Expenses of Hospitalization on diagnosis of Covid shall be admissible
अस्पताल में भरती होने से पूर्व के व्यय Pre Hospitalization Expenses	15 दिन 15 days
अस्पताल में भरती होने के बाद के व्यय Post Hospitalization Expenses	30 दिन 30 days
उप-सीमाएँ Sub-limits	1. घर पर इलाज : प्रति घटना अधिकतम 14 दिनों तक 2. एम्बुलेन्स प्रभार: अस्पताल में एक बार भरती होने पर रु.2000/- 3. अस्पताल के दैनिक नगदी का स्वेच्छिक कवर: प्रत्येक बीमाकृत सदस्य के लिए एक पॉलिसी अवधि में अधिकतम 15 दिन की सीमा तक, प्रति दिन बीमाकृत राशि का 0.5% 1. Home care treatment: Maximum upto 14 days per incident. 2. Ambulance Charges: Rs.2000/- per hospitalization. 3. Optional Cover of Hospital Daily Cash: 0.5% of Sum Insured per day subject to maximum of 15 days in a policy period for every insured member.
घर पर इलाज पर होने वाले व्यय Home Care Treatment Expenses	पाज़िटिव निदान होने पर कोविड के लिए बीमाकृत व्यक्ति द्वारा घर पर इलाज की सुविधा हासिल करने पर, प्रति घटना 14 दिनों तक, जबकि साधारण स्थिति में अस्पताल में देखभाल व इलाज की जरूरत होती है, लेकिन वास्तव में इलाज घर पर रहकर कराया जाता है। Cost of treatment incurred by the Insured person on availing treatment at home for Covid on positive diagnosis up to 14 days per incident, which in the normal course would require care and treatment at a hospital but is actually taken while confined at home.
प्रीमियम भुगतान Premium payment	एकल प्रीमियम Single Premium
अस्पताल Hospital	इस पॉलिसी के उद्देश्य से सरकार द्वारा कोविड के इलाज के लिए, अस्पताल के रूप में नामित किसी भी सेट-अप को भी अस्पताल माना जाएगा। For the purpose of this policy any set-up designated by the government as hospital for the treatment of Covid shall also be also considered as hospital.
सह-रुग्णताएँ Co-morbidities	कोविड-19 के कारण उत्पन्न किसी भी सह-रुग्णता की दशा को भी अस्पताल में इलाज की अवधि में शामिल किया जाएगा। Any co-morbid condition triggered due to Covid-19 shall be covered during the period of hospitalization

प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित 30 साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को इस “कोरोना कवच” पॉलिसी के विपणन की अनुमति दी जा चुकी है।
Now the Authority had issued clearance to the following 30 General and Health Insurance companies to market this Corona Kavach Policy.

क्रम संख्या Sl. No	बीमाकर्ता का नाम Name of Insurer
1	एको जनरल इश्योरेंस लि. Acko General Insurance Ltd.
2	आदित्य बिड़ला हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड Aditya Birla Health Insurance Co. Ltd.
3	बजाज आलियांज जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड Bajaj Allianz General Insurance Co Ltd
4	भारती एक्सा जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड Bharti AXA General Insurance Co. Ltd.
5	चोलामंडलम एमएस जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड Cholamandalam MS General Insurance Co. Ltd.
6	एडलवाइज़ जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड Edelweiss General Insurance Co. Ltd.
7	फ्यूचर जनरली इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड Future Generali India Insurance Co. Ltd.
	गो डिजिट जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

8	Go Digit General Insurance Ltd एचडीएफसी एर्गो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
9	HDFC ERGO General Insurance Co.Ltd. एचडीएफसी एर्गो हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
10	HDFC ERGO Health Insurance Limited आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
11	ICICI Lombard General Insurance Company Ltd इफको टोक्यो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
12	IFFCO TOKIO General Insurance Co. Ltd. कोटक महिंद्रा जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
13	Kotak Mahindra General Insurance Co. Ltd. लिबर्टी जनरल इश्योरेंस लि.
14	Liberty General Insurance Ltd. मैग्मा एचडीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
15	Magma HDI General Insurance Co. Ltd. मणिपाल सिग्ना हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
16	Manipal Cigna Health Insurance Company Limited मैक्स बूपा हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
17	Max Bupa Health Insurance Co. Ltd नवी जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
18	Navi General Insurance Ltd. नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
19	National Insurance Co. Ltd. रहेजा क्यूबीई जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
20	Raheja QBE General Insurance Co. Ltd. रिलायन्स जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
21	Reliance General Insurance Co.Ltd रेलिगेयर हेल्थ इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
22	Religare Health Insurance Co. Ltd रोयल सुंदरम जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
23	Royal Sundaram General Insurance Co. Ltd. एसबीआई जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
24	SBI General Insurance Co. Ltd. स्टार हेल्थ एण्ड एलाइड इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
25	Star Health & Allied Insurance Co.Ltd. टाटा एआईजी जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
26	Tata AIG General Insurance Co. Ltd. न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
27	The New India Assurance Co. Ltd ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
28	The Oriental Insurance Co. Ltd. यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
29	United India Insurance Co. Ltd. यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
30	Universal Sompo General Insurance Co. Ltd.

आम जनता उपरोक्त बीमा कंपनियों से संपर्क करके यह उत्पाद हासिल कर सकती है।

The general public may avail this product by approaching the above Insurance Companies.

